न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा , R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2020/21 दायरा दिनांक 09.01.2020

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. गणेश अग्रवाल पुत्र श्री पुसालाल उम्र ....वर्ष जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

बनाम

1. पूसालाल पुत्र स्व. जोधराज
2. राजकुमार पुत्र श्री पुसालाल
3. चुकादेवी पत्नि श्री पुसालाल
4. ममता पुत्री श्री पुसालाल
5. गोरीशंकर खोले हीरालाल समस्त जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
दावा बाबत घोषणा खातेदारी
हस्ब धारा 88,राज. काश्त. अधि.

उपस्थित–

1. श्री राजेश राखेचा वकील वादी।
2. श्री हरफूल राव वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **17.06.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा निमोद की शहरद मे खेत ख.न. 335 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा, स्थित है। उक्त खेत वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 05 की सामलाती खातेदारी के खेत है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की प्रमाणीत प्रति पेश की है।

उपरोक्त वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या एक आपस में पुत्र व पिता है।तथा प्रतिवादी संख्या एक वृद्ध है तथा अपने बन्ट का हिस्सा पर खेती बाडी वादी ही करता आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या एक अपनी मर्जी से उक्त खेत में अपना हिस्सा नही रखना चाहता हैं। अपना हिस्सा की खातेदारी मौखिक बन्ट में वादी को दे रखा है।तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या एक ने अपने उपरोक्त अन्य वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 को भी उनके बन्ट में आने वाला हिस्सा मौखिक रूप से बन्ट में दे दिया है।

प्रतिवादी संख्या एक व वादी के बीच मौखिक बन्टवारा हो रखा है जिसमें वादी के बन्ट में मौजा निमोद के खेत ख. न. 335 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा में से 11 बिस्वा 09 बिस्वान्सी जमीन बन्ट व कब्जा काश्त में रखा गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के बन्ट में मौजा निमोदे की आबादी में स्थित जायगा/प्लॉट बन्ट में रखा है।

मुतनाजा खसरा वादी के पैत्रिक खेत है। और खातेदार पूसालाल पुत्र जोधराज ने अपने तमाम जमीन जायदाद का बन्टवारा कर मौजा निमोद के खेत ख. न. 335 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा में से 11 बिस्वा 09 बिस्वान्सी जमीन वादी के बन्ट व कब्जा काश्त में रखा गया मगर मुतनाजा खसरान की खातेदारी में वादी के पिता का नाम दर्ज होने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड. गये [illegible] से मिलने वाली साहयता का फायदा नही उठा सकता है।और न ही किसान [illegible] सकता है। इसलिए वादी को मुतनाजा जमीन मौजा [illegible] 06 बीघा 11 बिस्वा में से 11 बिस्वा 09 बिस्वान्सी जमीन [illegible] जोधराज के स्थान पर वादी के नाम घोषित कराना जरूरी हो गया [illegible] यह घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है।

प्रार्थना वादी है कि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कि मौजा निमोद के खेत ख. न. 335 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा में से 11 बिस्वा 09 बिस्वान्सी जमीन की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या एक पूसालाल पुत्र जोधराज का नाम खातेदारी से हटाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 13.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 06 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

दिनाकं 24.02.2020 को वादी व प्रतिवादी संख्या 01, ता 03 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया।

दिनाकं 12.03.2020 को वादी व प्रतिवादी संख्या 04 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया।वादी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 05 को वाद से डिलिट करने का पेश किया और निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध इस वाद मे कोई रिलिफ नही चाही गई है इसलिए वादी का उक्त प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके दावा पर आधारित रही तथा उन्होंने दावा डिक्री करने का निवेदन किया। बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। खातेदार् प्रतिवादी संख्या एक व उसके वारिसानो ने घोषणा पर किसी प्रकार का एतराज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा सभी पक्षकारानो ने राजीनामा पेश किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा, व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के खण्ड पीठ के निर्णय दिनाकं 10.07.2019 बअनुवान माधु वगैराह बनाम गोविन्द वगैराह के पैरा संख्या 09 के अनुसार व साक्ष्यों व दस्तावजो के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

:– आदेश–:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा निमोद के खेत खं. न. 335 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा में से 11 बिस्वा 09 बिस्वान्सी जमीन की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या एक पूसालाल पुत्र जोधराज का नाम खातेदारी से हटाया जाता है राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:45:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा , R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2020 / 21** दायरा दिनांक **09.01.2020**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गणेश अग्रवाल पुत्र श्री पुसालाल उम्र ....वर्ष जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. पूसालाल पुत्र स्व. जोधराज 2. राजकुमार पुत्र श्री पुसालाल 3. चुकादेवी पत्नि श्री पुसालाल 4 ममता पुत्री श्री पुसालाल 5 गोरीशंकर खोले हीरालाल समस्त जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 6 श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

हस्ब धारा 88,राज. काश्त. अधि.

दिनांक 17.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी वकील राजेश कुमार राखेचा व श्री, प्रतिवादीगण वकील हरफुल राव की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा निमोद के खेत ख. न. 335 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा में से 11 बिस्वा 09 बिस्वान्सी जमीन की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या एक पूसालाल पुत्र जोधराज का नाम खातेदारी से हटाया जाता है राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज...........–........... मुबलिंग............–................ बाबत.....................–.......... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **17.06. 2022** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner